भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *76

गुरुवार, 3 दिसम्बर, 2015/12 अग्रहायण, 1937 (शक)

राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन

***76. श्री रामचरण बोहरा:**
श्री बी श्रीरामुलु:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विभिन्न राज्य सड़कों अथवा राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने/उन्नयन करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों/मानकों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित राज्य सड़कों अथवा राज्य राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए आबंटित/निर्गत/उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हो जिनमें राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयित किए जाने की मांग की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

'राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन' के संबंध में श्री रामचरण बोहरा और श्री बी श्रीरामुलु द्वारा 03.12.2015 को पूछे गए लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *76 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

.....

(क) विभिन्न राज्य सड़कों अथवा राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने/उन्नयन करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों/मानकों का ब्यौरा अनुलग्नक-I में है । गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक-II में है ।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा करने के उपरांत सड़क खंडों को विकास और अनुरक्षण के लिए एजेंसी को सौंपा जाता है । तत्पश्चात निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सड़क खंडों में विकास कार्य किया जाता है । इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के समय किसी प्रकार की निधि का आबंटन नहीं किया जाता है ।

(ग) और (घ) मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों से राज्य सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं जिनकी सड़क संपर्कता की आवश्यकता, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए जांच की जाती है । गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में इस मंत्रालय द्वारा सड़कों/मार्गों की लगभग 23657 किमी लंबाई को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है । मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्शन में भारत माला परियोजना के अंतर्गत नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 7000 किमी के विकास को कवर करते हुए तटवर्ती सीमा/सड़क संपर्कता को शामिल करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्कता में सुधार लाने तथा अन्य सड़कों की 7000 किमी की लंबाई को शामिल करते हुए धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों को तथा पिछड़े क्षेत्रों को सड़क संपर्कता प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है । प्रस्तावित कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ गैर प्रमुख पत्तनों को भी सड़क संपर्कता के विकास में शामिल करने की परिकल्पना है । तथापि, इस परियोजना का औपचारिक रूप से अभी शुभारंभ किया जाना है ।

अनुलग्नक-I

'राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन' के संबंध में श्री रामचरण बोहरा और श्री बी श्रीरामुलु द्वारा 03.12.2015 को पूछे गए लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *76 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

.....

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के मानदंड:

मंत्रालय ने योजना आयोग की टिप्पणियों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए 11 बिंदुओं के मानदंड निकाले हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. ऐसी सड़कें जो देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हों ।
2. पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें ।
3. राष्ट्रीय राजधानी को राज्य की राजधानी के साथ जोड़ने वाली सड़कें और राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें ।
4. महापत्तनों, महापत्तनों से इतर पत्तनों, बड़े औद्योगिक केन्द्रों अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें ।
5. पहाड़ी और एकांत क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण सामरिक जरूरतों को पूरा करने वाली सड़कें ।
6. प्रमुख सड़कें जो यात्रा की दूरी को बहुत कुछ घटा देती हों और जिनसे काफी अधिक आर्थिक वृद्धि प्राप्त होती हो ।
7. ऐसी सड़कें जिनसे किसी पिछड़े इलाके के विशाल भू-भाग को और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने में सहायता मिलती हो (सामरिक महत्व से इतर) ।
8. 100 किमी. का राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड प्राप्त होता हो ।
9. ऐसी सड़क जो अपनी तकनीकी आवश्यकताओं के साथ-साथ भूमि आवश्यकताओं के मामले में भी राज्यीय राजमार्ग के लिए निर्धारित मानक को पूरा करती हो । मौजूदा सड़कें (राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें और अन्य सड़कें) जो इसमें निर्धारित विभिन्न मानदंडों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, पर राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों में उन्नयन करने के लिए विचार किया जाएगा । तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्नयन की जा रही सड़कें राज्यीय राजमार्ग के लिए निर्धारित मानदंड सामान्यत: पूरा करती हैं परंतु प्रमुख जिला सड़कें और अन्य सड़कें जो ग्रिड बनाती हैं और महत्वपूर्ण/पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ती हैं, का भी उन्नयन करने की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा ।
10. मार्ग और मार्गाधिकार दोनों ही, किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त हों और राज्य सरकार की सम्पत्ति हों ।
11. राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अपेक्षित मार्गाधिकार (वरीयतन 45 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर) अधिग्रहण के लिए बिना किसी अतिक्रमण के उपलब्ध हो और राज्य सरकार छह महीने के अन्दर अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी कर ले । यदि सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग मानक में विकसित करने के लिए अतिरिक्त मार्गाधिकार अपेक्षित है तो राज्य सरकार प्राक्कलन स्वीकृत करने के पश्चात् अधिग्रहण को तेजी से पूरा करेगी ।

अनुलग्नक-II

'राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन' के संबंध में श्री रामचरण बोहरा और श्री बी श्रीरामुलु द्वारा 03.12.2015 को पूछे गए लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *76 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

.....

(लंबाई किमी में)

क्र.सं.	राज्य	2012-13 के दौरान संयोजन	2013-14 के दौरान संयोजन	2014-15 के दौरान संयोजन	2015-16 के दौरान संयोजन
1	आंध्र प्रदेश	1764	289	715.58	562
2	अरुणाचल प्रदेश			486.05	
3	असम	89	605	177.67	
4	बिहार	62	299	211.79	160
5	चंडीगढ़			-8.725	
6	छत्तीसगढ़		742	47.4	
7	दिल्ली			0	
8	गोवा			-6.999	
9	गुजरात	547	115	276.9	
10	हरियाणा		417	177.48	395
11	हिमाचल प्रदेश		690	270.48	156
12	जम्मू और काश्मीर	450	624	274	
13	झारखंड	204	594	-314.36	
14	कर्नाटक	246	1535	255.29	70
15	केरल		243	111.52	
16	मध्य प्रदेश	52		68.57	9
17	महाराष्ट्र	1252	740.2	798.59	387
18	मणिपुर		135	293.74	
19	मेघालय			33.358	
20	मिजोरम		195	159	
21	नगालैंड		247	409.09	
22	ओडिशा	712	134	94.523	
23	पुदुच्चेरी			11.03	
24	पंजाब		142	540.15	530
25	राजस्थान	50	466	240.2	20
26	सिकिम्म			160	
27	तमिलनाडु		32	31.14	
28	त्रिपुरा		109	68	228
29	तेलंगाना				
30	उत्तराखंड		240	559.92	
31	उत्तर प्रदेश		168	497	
32	पश्चिम बंगाल		227	1.801	
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			30.7	
34	दादर और नागर हवेली		31	0	
35	दमन और दीव		22	0	
	कुल	5428	9041.2	6670.9	2517

*****